

अंतिम स्मार  
e-mail

पत्र सं.- 04 / स्था.-01-32 / 2019ज.सं.-  
झारखण्ड सरकार,  
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक :- अभय नन्दन अम्बष्ठ,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,  
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना,  
आदित्यपुर, जमशेदपुर।  
सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),  
जल संसाधन विभाग, राँची।  
मुख्य अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, धुर्वा राँची।  
उप समाहर्ता,  
राजस्व प्रमण्डल, राँची।

राँची, दिनांक:-

विषय:- आपके प्रक्षेत्राधीन लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग के कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन एवं नियुक्ति हेतु अध्याचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 4254 दिनांक 06.08.19, पत्रांक 4042 दिनांक 25.07.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके प्रक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग के पदनाम वार स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत बल एवं रिक्त संबंधी संख्या एवं रोस्टर क्लीयरेंस की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई थी जो अबतक अप्राप्त है।

अपर मुख्य सचिव से प्राप्त निदेश के आलोक में लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदन की आवश्यकता है-

1. वरीयता सूची के प्रकाशन की अद्यतन स्थिति।
2. रोस्टर के अनुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विवरणी।
3. आयोग को अध्याचना प्रेषण किये जाने हेतु अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करने की स्थिति।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके प्रक्षेत्रान्तर्गत लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग से संबंधित उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संवर्ग के मूल पद निम्नवर्गीय लिपिक पर नियुक्ति हेतु अध्याचना दिनांक 20.01.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया, इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

( अभय नन्दन अम्बष्ठ )  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

412

राँची, दिनांक:-

14/01/2020

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( अभय नन्दन अम्बष्ठ )  
सरकार के संयुक्त सचिव।

10-1-2020



पत्र सं.- 4/स्था.-01-29/2017:- 4254

**झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग।**

प्रेषक:-

राजेश बाखला,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,  
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना,  
आदित्यपुर, जमशेदपुर।  
सभी मुख्य अभियंता,  
(लघु सिचाई सहित)  
जल संसाधन विभाग।  
मुख्य अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।  
उप समाहर्ता,  
राजस्व प्रमण्डल, राँची।

राँची, दिनांक:- 06/08/19

विषय:-

जल संसाधन विभागान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों का रोस्टर स्वच्छता की प्रति के साथ नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-4042 दिनांक-25.07.19

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा जल संसाधन विभागान्तर्गत वर्ग-3 एवं 4 के निम्न कार्यरत संवर्ग में नियुक्ति हेतु कार्यरत एवं रिक्त बल की कोटिवार विवरणी, नियुक्ति हेतु रोस्टर स्वच्छता एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा के लिए अधियाचना की माँग की गई है :-

1. झारखंड राज्य लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/ टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010
2. झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2018
3. झारखंड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006
4. विभागाध्यक्ष/ मुफ्फसिल कार्यालयों के आशुलिपिकों की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007


किन्तु एक सप्ताह के अंदर उक्त अभिलेख विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह विभागीय कार्रवाई में लापरवाही का द्योतक है।

अतः अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्राधीन समेकित रूप से उपर्युक्त वर्णित संवर्गों में नियुक्ति हेतु कार्यरत एवं रिक्त बल की कोटिवार विवरणी, नियुक्ति हेतु रोस्टर स्वच्छता एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा के लिए अधियाचना उपर्युक्त वर्णित अभिलेख निर्धारित प्रारूप में एक सप्ताह में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु:-प्रसंगिक पत्र।

विश्वासभाजन,

  
(राजेश बाखला)

सरकार के अवर सचिव।



पत्र सं.- 4/स्था.-01-29/2017:- 4042

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग।**

प्रेषक:- सुनील कुमार पोद्दार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,  
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना,  
आदित्यपुर, जमशेदपुर।  
सभी मुख्य अभियंता,  
(लघु सिचाई सहित)  
जल संसाधन विभाग।  
उप समाहर्ता,  
राजस्व प्रमण्डल, राँची।

राँची, दिनांक:- 25/11/19

विषय:- जल संसाधन विभागान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों का रोस्टर अद्यतन की प्रति के साथ नियुक्ति हेतु अध्याचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभागान्तर्गत वर्ग-3 एवं 4 के विभिन्न संवर्ग कार्यरत है। जिन संवर्गों की नियुक्ति नियमावली गठित कर दी गयी है, उसकी विवरणी निम्नवत् है-

1. झारखंड राज्य लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/ टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010
2. झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2018
3. झारखंड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006
4. विभागाध्यक्ष/ मुफसिल कार्यालयों के आशुलिपिकों की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007

उपर्युक्त वर्णित क्षेत्रीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु कार्यरत एवं रिक्त पदों पर बल की कोटिवार विवरणी, नियुक्ति हेतु रोस्टर स्वच्छता एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा के लिए अध्याचना की आवश्यकता विभाग को है।

अतः अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्राधीन समेकित रूप से उपर्युक्त वर्णित संवर्गों में नियुक्ति हेतु उपर्युक्त वर्णित अभिलेख निर्धारित प्रारूप में एक सप्ताह में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

(सुनील कुमार पोद्दार)  
सरकार के अवर सचिव।

25/11/19